प्रकरण संख्या 8/2022 श्रीमती पप्पु कुंवर बनाम श्रीमती सीता कुंवर

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत् विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोधपुरिया, पटवार मण्डल अमलोई, तहसील राजसमन्द में आराजी नंबर 206 से 210 कुल किता 5 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादीगण के पिता रूपसिंह की मृत्यु के बाद विरासत से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की माता मोहन कंवर के नाम दर्ज हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को ग्राम जोधपुरिया की आबादी में स्थित मकान मिला, जिस पर वादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 का इस पर व कृषि भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। इस प्रकार उपरोक्त मकान का कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों का 1/3, 1/3 हिस्सा है। रूपसिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मोहन कुंवर के अकेले रह जाने से वादी संख्या 1 लगभग 20 वर्षो तक उसके साथ रही तथा उसकी मृत्यु होने पर उसका किया कर्म वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने किया। मां की मृत्यु होने पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से तीनों बहनों के नाम जमीन दर्ज करवाने को कहा तो वह धमकी देने लगी तथा प्रतिवादी संख्या 2 से मिलकर भूमि को खुर्द–बुर्द कर सकती है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया जावे तथा उपरोक्त वर्णित मकान में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप व हस्तान्तरण नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी की ओर से प्रारम्भिक आपित्त प्रस्तुत की गयी एवं निवेदन किया कि वादी ने ग्राम जोधपुरिया स्थिति कृषि भूमि के साथ आबादी में स्थित मकान के हक अधिकारों की घोषणा बाबत् भी वाद प्रस्तुत किया है, जिसका श्रवणाधिकार आप न्यायालय को नहीं होने से वाद मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। वादी ने मोहन कुंवर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किये गये हक त्याग को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वादी स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं और किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। श्रीमती मोहन कुंवर ने उक्त कृषि भूमि एवं आबादी स्थिति भूमि में अपना 1/4 हि[illegible] 10.07.2019 को जरिये हक त्याग विले[illegible] है, जिसे वादीगण द्वारा [illegible] दी गयी [illegible] उक्त दस्तावेज को निरस्त कराये बगौर वादीगण किसी प्रकार के हक अधिकारों का क्लेम नहीं कर सकते हैं। उक्त हक त्या[illegible] को अवैध, शून्य व निरस्त करने की अधिकारिता केवल सिविल न्यायालय को है। अतः	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:35 IST
Reason: SelfAttested

उदयपुर (राज.)

वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

उक्त प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब देते हुए वादीगण ने निवेदन किया कि मकान के संबंध में किसी प्रकार की रिलीफ संयुक्त अनुतोष वाले मामले में वाद एक न्यायालय में पेश किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति निरस्त की जावे तथा जब तक प्रकरण का निस्तारण नहीं हो तब तक प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 23.02.2021 से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार करते हुए प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप कर दी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13.05.2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नकल दिनांक 08.03.2021 को प्राप्त होने पर अपील तैयार करने आना था, किन्तु कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रूपसिंह व मोहन कुंवर के कोई पुरूष संतान नहीं थी, जिससे रूपसिंह की मृत्यु पर भूमि अकेले मोहन कुंवर के नाम दर्ज हो गयी। मोहन कुंवर मृत्यु के पूर्व करीब 2 वर्ष तक बिस्तर पर रही ऐसी स्थिति में उसकी सेवा सुश्रुषा अपीलान्ट ने की, किन्तु प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने मोहन कुंवर की बीमारी की [illegible] राजस्व कर्मचारियों से मिलकर लिखा-पढ़ी अपने नाम [illegible] करवा [illegible] जो अपीलान्ट/वादीगण के मुकाबले [illegible] बेअसर है। [illegible] विवादित आराजियात में अपीलान्ट तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं [illegible] इसी अनुसार बंटवारे कराने के अधिकारी हैं तथा वादीगण ने मुख्य रिलीफ भी यही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:35 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

चाही है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानकर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने मोहन कुंवर द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किये गये हक त्याग विलेख को अवैध, शून्य व निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय की होना मानकर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार कर अपीलान्ट/वादीगण के वाद की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप किये जाने का आदेश दिया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है, क्योंकि यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित आराजियात रूपसिंह के खातेदारी की होकर अपीलान्ट तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 उसकी पुत्रियां हैं तथा जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में विवादित आराजियात अपीलान्ट तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 तथा उनकी माता मोहन कुंवर की सहखातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट/वादीगण के वाद का मुख्य अनुतोष विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् था, जिसका निस्तारण साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.02.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.05.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:35 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर